कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:-कार्यालय आदेश:-

यह कि श्रीमती सुनीता बाना, व्याख्याता भौतिक विज्ञान राउमावि कडैल, (पीसांगन) अजमेर जन्म तिथीः 20.11.1976 को दिनांकः 29.08.2015 से स्वैच्छा से अनवरत अनुपस्थित रहने के कारण प्रधानाचार्य राउमावि कडैल (पीसांगन) अजमेर के नोटिस दिनांकः 16.03.2016, एंव 02.04.2016 और 28.04.2016 के द्वारा कर्त्तव्य पर उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया। जिसका श्रीमती सुनीता बाना द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

उधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रकरण की गहनता पूर्वक जांच पश्चात पाया गया कि श्रीमती सुनीता बाना, व्याख्याता भौतिक विज्ञान राजकीय सेवा करने की इच्छुक नहीं है तथा माननीय न्यायालय द्वारा एस. बी. सिविल याचिका संख्याः 396/02 में पारित निर्णय दिनांकः 06.02.2003 द्वारा भी लम्बे समय तक स्वैच्छा से अनुपस्थिति को अनुचित माना गया एवं इसे स्वैच्छा से सेवा का परित्याग माना है। माननीय न्यायालय द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में किसी भी प्रकार की जांच एवं नोटिस दिये जाने की औपचारिकताओं को पूरा करने की भी आवश्यकाता नहीं बताई है।

अतः श्रीमती सुनीता बाना, को दिनांकः 29.08.2015 से निरन्तर स्वैच्छा से अनुपस्थिति के मद्ध्यनजर वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांकः 12.01.2017 के तहत् लम्बे समय स्वैच्छिक अनुपस्थिति का प्रकरण होने के कारण आर.एस.आर. नियम 86(4) के अन्तर्गत सेवा त्याग मानते हुए (DEEMED TO HAVE RESIGNED)एतद् द्वारा श्रीमती सुनीता बाना, व्याख्याता भौतिक विज्ञान राउमावि कडैल (पीसांगन) अजमेर को राज्य सेवा से हटाया (REMOVAL FROM SERVICE) जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी-3/भौगकू/श्रीमती सुनीता बाना/व्या. भौतिक/2020/07 दिनांकः 03/09/2020
प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) मुख्यालय अजमेर
4. संबंधित संस्था प्रधान
5. संबंधित कार्मिक
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर